योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना	विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन के रूप में रू0 25,000/– दिये जाते हैं।	ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, के साथ सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर लाभ दिया जाता है। दंपति आयकर दाता नही होना चाहिए तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दंपत्ति उत्तराखण्ड का निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से अधिवासी हो, परंतु दंपत्ति भारत का नागरिक हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित न हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य। युवती (दुल्हन) की आयु 18 से 45 के मध्य हो तथा दंपत्ति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या कानूनी विवाह किया	इसमें वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ से डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है। आवेदन प्रारूप के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :– दम्पति का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0कार्ड की छायाप्रति, स्थायी निवास/5 वर्ष से राज्य में निवास करने की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति। शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। शपथ पत्र (आयकर दाता न होने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न होने तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न होने संबंधी) सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जॉच कर पात्रता के आधार पर संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

जनकल्याणकारी,योजनाओं, का नाम	योजनाओं का लाभ	पात्रता/लाभार्थी कौन होंगे	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्या होगी कैसे होगी
दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना	विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन के रूप में रू0 25000/– दिये जाने का प्राविधान है।	1.ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, के साथ सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर। 2.आवेदनकर्ता आयकर दाता नही होना चाहिए। • दंपत्ति उत्तराखण्ड का निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से उसका अधिवासी हो, परंतु दंपत्ति भारत के नागरिक हो। • दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो। • शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो। • दंपत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा विकलांग से प्रचलित समाज की रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। • दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता न हो। जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो ।	सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से इसका प्रारूप प्राप्त करने अथवा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर विकास खण्ड कार्यालय में जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :– • • दिव्यांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति। • यू0डी0आई0कार्ड की छायाप्रति। • शादी पंजीकरण की छायाप्रति। • शपथ पत्र सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जॉच कर पात्रता के आधार पर संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

दिव्यांगों से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान :

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–की धनराशि अनुदान के रूप दिये जाने का प्राविधान है। आवेदनकर्ता आयकरदाता तथा आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये।

6. दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदानः-

सामान्य युवक, युवतियों द्वारा दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना के अन्तर्गत दिव्यांग युवक अथवा युवती से शादी करने पर दम्पत्ति को क्रमशः रूपये 25,000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है.

योजना के मानक व दरें :

- दम्पति भारत का नागरिक हो।
- दम्पति उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से उसका अधिवासी हो ।
- दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।
- शादी के समय युवक कम से कम 21 वर्ष तथा 45 से अधिक न हो तथा युवती कम से कम 18 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- दम्पति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो ।
- दम्पति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
- जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मुकदमा न चल रहा हो।
- सामान्य युवक द्वारा दिव्यांग युवती से विवाह करने पर अनुदान की राशि रुपये 25,000/- होगी ।

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्याः / XVII-2 / 14-06(02) / 2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला / समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

3509
8/12/14

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, अक्टूबर, 2014

विषयः विकलांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान ₹ 25,000 / – किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा जन कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं संचालित है, जिनमें से एक विकलांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य युवक द्वारा विकलांग युवती से विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 14,000 / – एवं सामान्य युवती द्वारा विकलांग युवक से विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 11,000 / – तथा दोनो विकलांग युवक / युवती द्वारा विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 14,000 / – अनुमन्य है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विकलांग युवक / युवती के सामान्य युवक / युवती से विवाह करने पर तथा दोनो विकलांग युवक व युवती द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को ₹ 25,000 / – का प्रोत्साहन अनुदान अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इस योजना हेतु पूर्व निर्गत संगत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।
4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र सं0–873 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

श्रीमती प्रभा पांडेय

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1905 (1) / XVII-2 / 14–06(02) / 2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।

क्रमशः 2 / .....

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमॉयू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
अपर सचिव।